लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2363

उत्तर देने की तारीखः 03.12.2019

अंतरजातीय विवाह

2363. श्री एस. वेंकटेशनः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अंतरजातीय विवाह के माध्यम से डॉ. अंबेडकर सामाजिक समरसता योजना के द्वारा प्रत्येक दम्पत्ति को कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई है;

(ख) वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 में उक्त योजना के अंतर्गत कितने अंतरजातीय दम्पत्तियों ने प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत जिन अंतरजातीय दम्पतियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में 500 अंतरजातीय दम्पत्तियों को प्रोत्साहन उपलब्ध है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क): अंतर-जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ0 अंबेडकर योजना के अंतर्गत, प्रत्येक दंपत्ति 2.50 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि का पात्र है।

(ख) और (ग): वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में उक्त योजना के अंतर्गत, अंतर-जातीय विवाह करने वाले दंपत्तियों की संख्या, जिन्होंने आवेदन किया और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले दंपत्तियों की संख्या का ब्यौरा, **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) से (च): डॉ0 अंबेडकर प्रतिष्ठान की अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन हेतु योजना में, इस योजना के आरंभ में एक वर्ष में 500 विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे 2 वर्षों अर्थात् 2013-14 और 2014-15 के लिए प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया गया था। तथापि, डॉ0 अंबेडकर प्रतिष्ठान ने इस योजना को वर्ष 2015 से आगे जारी करने का निर्णय लिया था। एक वर्ष में 500 दंपत्तियों को शामिल करने का लक्ष्य केवल निर्देशात्मक है और यह संपूर्ण नहीं है। उन दंपत्तियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, यदि वे प्रतिष्ठान की योजना के प्रावधान के तहत पात्र होते हैं। उक्त प्रोत्साहन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन के अतिरिक्त है। अतः वर्तमान में डॉ0 अंबेडकर प्रतिष्ठान द्वारा प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

अनुबंध

"अंतरजातीय विवाह" के संबंध में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2363 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अंतर-जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ0 अंबेडकर योजना के अंतर्गत, प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने वाले दंपत्तियों की सूचना और जिन्हें प्रोत्साहन दिया गया था:

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	आवेदन करने वाले दंपत्तियों की संख्या	प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले दंपत्तियों की संख्या
1	2015-16	544	54
2	2016-17	711	67
3	2017-18	582	136
4	2018-19	493	120